111 किलो दूध से होगा राधारानी का पंचामृत अभिषेक

जयपुर।राधाष्टमी के अवसर पर शनिवार को शहर के राधा-कृष्ण मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं जयपुर के आराध्य देव गोविंददेवजी मंदिर में राधाष्टमी का मुख्य उत्सव मनाया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर
(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक : एफ ( )/न.नि.ज./मा.न.जोन/2026/3267 दिनांक : 17.09.2026
सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 83 योजना सून्दर नगर, सोसायटी नेशनल गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का पट्टा विलेख जिसका क्षेत्रफल 588.26 वर्गगज का श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नि श्री बी.पी. शर्मा के नाम से दिनांक 15.03.2002 को जारी किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 586 दिनांक 06.03. 2012 के द्वारा भू उपयोग उपान्तरण आवासीय से मिश्रित उपयोग (होटल) स्वीकृत किया गया है। मूल आवंटी श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नि श्री बी.पी. शर्मा के द्वारा रजिस्टर्ड वसियत नामा दिनांक 19.11.2021 को श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री बी.पी. शर्मा के हक में निष्पादित कि गई है। श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नि श्री बी.पी. शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2021 को हो गयी है। आवेदक एस.एस. इन्वेस्टमेन्ट्स अधिकृत सहभागी श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री बी.पी. शर्मा के द्वारा दस्तावेजों, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं रजिस्टर्ड वसियत नामा एवं अन्य दस्तावेजो की छायाप्रति के आधार पर नाम हस्तानान्तरण चाहा गया है। नगर निगम जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 83 योजना सून्दर नगर, सोसायटी नेशनल गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर एस.एस. इन्वेस्टमेन्ट्स अधिकृत सहभागी श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री बी.पी. शर्मा के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **रामकिशोर जी बंदावला** का स्वर्गवास 17.09.2026 को हो गया है जिनकी तीय की बैठक 19.9.26 2 से 4 तक निजीनिवास-बॉस कॉलोनी गोनेर रोड़ चतरपुरा में रखी गई है।

शोकाकुल- श्री नारायण, भगवान सहाय, कैलाश चंद, शंकर, छोटीलाल (भाई), रामराय, बाबू, छाजू, भगवान, छाजू, कमलेश, बाबू, घनश्याम, मुरली मनोहर, श रामदयाल, गोविन्द, अरविन्द, कृष्ण (पुत्र), सत्यनारायण, आयुष, गौरव, चन्द्रमोहन, राजाराम, हिमांशु, अरविल, अंशु (पौत्र), जयकुमार (पड़पौत्र) एवं समस्त बंदावला परिवार चतरपुरा।
9782133310, 8290658878, 9660114145

नाम परिवर्तन

मैं, सुश्री फातमा खातून, पुत्री मोहम्मद सगीर आलम, निवासी ग्राम-बंडी, पोस्ट-मनियारा, बडी, गया, बिहार ने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपने पिता का नाम मो. सगीर आलम से बदलकर मोहम्मद सगीर आलम और अपनी मां का नाम बिलकिस से विलाकिश खातून कर लिया है।

मै मनेन्द्र सिंह (MANENDRA SINGH) पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी- 9, सिनसिनवार हाउस, बछैना, पोस्ट खोहरा, बयाना, भरतपुर, राजस्थान ने अपना नाम बदलकर नया नाम मनेन्द्र सिंह फौजदार (MANENDRA SINGH FAUJDAR) रख लिया है, भविष्य में मुझे नए नाम से जाना व पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम हितेश अशोक ठाकुरवानी से बदलकर हितेश ठाकुरवानी कर लिया है। भविष्य में मुझे हितेश ठाकुरवानी के नाम से जाना जावे। निवासी फ्लैट नं.101डी-222, भास्कर मार्ग, सुखसागर अपार्टमेंट, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान-302016

I have changed my name from Dalchand to Dalchand Verma for all purpose in future. R/o 18, katewa Nagar, New Sanganer Road, Jaipur-302019

I have changed my name from Narendra Singh to Narendra Singh Shekhawat S/o Indra Singh Shekhawat R/o Plot No 59A, Bhagwan Nagar 8, Sikar Road, Harmada, Jaipur. For all purpose.

खोया पाया

मेरे प्लाट नं. 19-ए मेहराज कॉलोनी नाई की थडी रामगढ रोड जयपुर का मूल पट्टा नक्शा, रसीदें व अन्य कागजात जो अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर के द्वारा जारी थे रामगेट बाजार में कहीं खो गये मिलने पर सूचित करें। मोहम्मद फारूक, मो. 9351460187

मेरे भूखंड सं. डी-6/338 जे.डी.ए. की योजना चित्रकूट जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र और नाम हस्तांतरण पत्र कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे- विजय मुंधरा मो.6377718094

आम सूचना सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माताजी रेखा देवी धर्मपत्नी श्री हनुमान सहाय के नाम प्लाट नं.34, संतकुंज भांकरोटा जयपुर में है। जो 105 वर्गगज का है जिसके मूल दस्तावेज हम से खो गये है जिसकी FIR LR No: 3282039/2026 Date: 15/09/2026 भी करवा दी गई। अगर किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे सूचित करें अन्यथा मेरे द्वारा जारी करने वाली सोसाइटी बाबा आर एन गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति को डुप्लीकेट पट्टा जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है सूचित रहे अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे या सोसाइटी को 7 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करे !
अजय वर्मा पुत्र रेखा देवी, मो. 9828114445

नम्बर मिलाइए
8890333139
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'सीमांत क्षेत्रों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता'

मुख्य सचिव ने 50करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि शत-प्रतिशत अर्जित करने के निर्देश दिए

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 18वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई।

जयपुर। शासन सचिवालय में शुक्रवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में18वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेशभर में डिजिटल बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण,केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना2026-27के तहत किए जाने वाले सुधारों,दूरसंचार राइट ऑफ वे नियम-2024के क्रियान्वयन एवं4सेचुरेशन परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज,जनजातीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों (वाइब्रेंट विलेज) तक डिजिटल सेवाओं व निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के अभाव में आमजन को सरकारी योजनाओं व डिजिटल सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने निर्देश दिए कि1जनवरी2025से प्रभावी नए आर ओ डब्लू नियमों को राज्य के सभी नगरीय निकायों,निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अंगीकृत किया जाए। बैठक में बताया गया कि 7 प्रमुख विभाग पहले ही राज्य आर ओ डब्लू पोर्टल से जुड़ चुके हैं तथा शेष संस्थाओं का एकीकरण भी शीघ्र पूर्ण किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑफलाइन आवेदनों की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर सभी प्रक्रियाएं स्टेट आर ओ डब्लू पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संचालित हों।बैठक के दौरान बताया गया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की विशेष सहायता योजना के तहत31मार्च2026तक के सभी बकाया आर ओ डब्लू आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने आर ओ डब्लू अनुमतियों के औसत निस्तारण समय को 45 दिन से कम (वर्तमान औसत लगभग 32 दिन) बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया तथा शेष औपचारिकताओं यथा संशोधित भारतनेट परियोजना एडेंडम का निष्पादन एवं ऊर्जा विभाग द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म व समेकित बिलिंग व्यवस्था को समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए,ताकि राज्य को 150 करोड़ रुपए की संपूर्ण प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके।

वहां जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रुचि लेकर इसका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों (बाड़मेर,श्रीगंगानगर आदि) के अनकवर्ड गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नेटवर्क से जोड़ा जाए।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव रवि कुमार सुरपुर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता, दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि, ऊर्जा, पंचायती राज विभाग, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान परिवहन विभाग, राजस्थान पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे,जबकि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।

हाईकोर्ट ने लंबित राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर चिंता जाहिर की

- दादा का दायर मुकदमा पोता देखे की मानसिकता में बदलाव की जरूरत, राजस्व मुकदमों का करें त्वरित निस्तारण - हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने सालों से लंबित राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि पक्षकारों की उस पुरानी मानसिकता को बदला जाए कि केस दादा-दादी दायर करते हैं और उसका निस्तारण उनके पोता-पोती के समय में हो। ऐसी स्थिति में एक पक्षकार विवाद का निर्णय हुए बिना ही हार का अनुभव करता है।

इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि मंडल मुख्यालयों पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की अध्यक्षता में एक बकाया समीक्षा समिति का गठन करें। यह कमेटी हर तीन माह में बैठक आयोजित कर राजस्व अदालतों के पुराने लंबित मुकदमों की निगरानी करे। इसके साथ ही मुख्य सचिव छह माह में अदालत में पालना रिपोर्ट पेश कर पुराने लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए उठाए कदमों की जानकारी दें। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश लक्ष्मीनारायण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने समस्त राजस्व अदालतों को निर्देश दिए हैं कि वे दस साल से ज्यादा पुराने मुकदमों को सबसे पुराने मुकदमों की श्रेणी में लेकर उन्हें तुरंत तय करे। इन मुकदमों की फाइलों के पहचान के लिए उन्हें लाल कवर में रखा जाए।

वहीं पीठासीन अधिकारी इनकी ऑर्डर शीट स्वयं लिखे। अदालत ने कहा कि पीठासीन अधिकारी हर माह लंबित मुकदमों के आंकडे कलेक्टर को भेजे और वे उसे बकाया समिति को फॉरवर्ड करें। अदालत ने याचिकाकर्ता से जुडे दो दशक पुराने मुकदमे के छह माह में निस्तारण के लिए अलवर के रेणी एसडीओ को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यह अत्यंत चौंकाने वाला है कि मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उसे सालों तक तय नहीं किया गया। अदालत ने राजस्व मंडल को निर्देश दिए हैं कि वह उपखंड अधिकारियों व आरएए के समक्ष वर्षवार लंबित अपीलों की जानकारी अदालत में पेश करें।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद अदालत में पेश हुए

अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। निकाय चुनाव-2026 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर सांगानेर सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से अवैध देशी शराब के कुल 124 पव्वे बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

रेलवे में स्थाई नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपये ठगे

जयपुर। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित को पहले संविदा पर नौकरी का झांसा दिया और स्थाई नौकरी दिलाने का वादा कर 2 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे, तो आरोपी ने गुंडों से उसकी पिटाई करवा दी। पीड़ित संजय नाथ ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि आरोपी ईश्वर चंद टांक ने उसे रेलवे में संविदा पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और स्थाई नौकरी लगवाने के नाम पर कुल 2 लाख रुपये ठग लिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, तो संजय नाथ ने आरोपी ईश्वर चंद टांक से अपने रुपये वापस मांगे। इस पर आरोपी ने रुपये देने से इनकार कर दिया और पीड़ित को एक दर्जन बदमाशों को बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई करवा दी।

भाजपा का दुपट्टा पहनने के बाद बदला बयान, निर्दलीय पार्षद रईस खान बोले-मैं कांग्रेस के साथ

- भाजपा का दावा- प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज

जयपुर। नगर निकाय चुनाव के बाद जयपुर नगर निगम में बोर्ड गठन को लेकर चल रही सियासी जोड़तोड़ के बीच वार्ड 109 के निर्दलीय पार्षद मोहम्मद रईस खान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की ओर से गुरुवार शाम रईस खान के पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें जारी की गईं। इनमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनाते हुए नजर आए। भाजपा ने इसे पार्टी का कुनबा बढ़ने के रूप में प्रचारित किया। हालांकि देर रात रईस खान ने भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया।

रईस खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि वह कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया था। इस दौरान भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली। उनके मुताबिक शिष्टाचार मुलाकात को भाजपा में शामिल होने के रूप में प्रचारित किया गया। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि घटनाक्रम इसके बाद भी जारी रहा। भाजपा नेताओं के अनुसार रईस खान ने शुक्रवार सुबह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दोबारा मुलाकात की। इसके बाद वह भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए। भाजपा नेताओं के इस दावे के बाद रईस खान के भाजपा के साथ होने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

पार्षदों को डराने-धमकाने के आरोप में कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा

कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को ज्ञापन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने की मांग की।

- कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई नवनिर्वाचित पार्षदों को अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने जबरन उठाया और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा

जयपुर। निकाय चुनाव के बाद जयपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को ज्ञापन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई नवनिर्वाचित पार्षदों को अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने जबरन उठाया और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है।

कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पार्टी के बहुत से चुने हुए पार्षदों को पुलिस ने जबरन उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में जिस तरह की स्थिति बनी, वैसी स्थिति यदि जयपुर में भी पैदा हुई तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुनील शर्मा के साथ आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपोल विधायक अमीन कागजी और बगरू की पूर्व विधायक गंगा देवी सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने तथा नवनिर्वाचित पार्षदों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाने की मांग की।

सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान कई स्थानों पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आने के बावजूद ईवीएम नहीं दिखाई गई। उन्होंने दावा किया कि करीब 12 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे थे, लेकिन वहां ईवीएम उपलब्ध नहीं कराई गई। जब प्रत्याशियों ने री-पोलिंग की मांग की तो उन्हें कथित तौर पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया।

शर्मा ने कहा कि ऐसा पहले कभी राजस्थान में ही नहीं, बल्कि देश में भी नहीं हुआ। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की निकाय चुनाव कमेटी जयपुर में महापौर पद के लिए प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों में महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर निर्णय किया जाएगा।

नहीं बचेंगे पुरोहितजी कटला अग्निकांड के दोषी : सांसद मंजू शर्मा

- परकोटे की फ़ायरसेफ्टी व्यवस्था होगी और दुरुस्त- सांसद मंजू शर्मा
- सांसद मंजू शर्मा ने यूडीएच मंत्री खर्रा के समक्ष उठाया मुद्दा

जयपुर। पुरोहितजी का कटला में हुए अग्निकांड से आहत लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शुक्रवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर घटना की निष्पक्ष जांच, लापरवाह अधिकारी और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।

यूडीएच मंत्री खर्रा ने सांसद को जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने सांसद मंजू शर्मा को यह भरोसा दिया गया कि घटना की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अग्निशमन व्यवस्था की कमियों को दूर करने और सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने पर काम किया जाएगा।

मंजू शर्मा ने मंत्री से इस बात पर जोर देते कहा कि परकोटे जैसे घने बाजारों में आग लगने की स्थिति में दमकल की पहुंच, हाइड्रेंट, पानी की उपलब्धता, भवनों की अग्निसुरक्षा, फायर एनओसी और आपातकालीन रास्तों की वास्तविक स्थिति नियमित रूप से जांची जाए। उन्होंने कांग्रेस के अशोक गहलोराज में तैयार किए गए 3.90 करोड़ के हाइड्रेंट सिस्टम की भी जांच की जाए। गौरतलब है कि अग्निकांड के बाद परकोटे में करीब 3.90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार फायर हाइड्रेंट सिस्टम को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस व्यवस्था में लगभग सात किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, पानी की टंकियां और हाइड्रेंट प्वाइंट शामिल हैं। सिस्टम का उद्देश्य उन संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए पानी उपलब्ध कराना था, जहां बड़े दमकल वाहन सीधे नहीं पहुंच सकते। मंजू शर्मा ने यूडीएच मंत्री से कहा कि किसी सुरक्षा व्यवस्था पर सार्वजनिक धन खर्च हुआ है तो उसकी स्थापना के साथ नियमित संचालन, रखरखाव और आपदा के समय उपयोगिता भी सुनिश्चित होना जरूरी है

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को ज्ञापन सौंपा

जयपुर। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चन्द शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जयपुर नगर निगम में ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि को महापौर पद पर चयनित करने के संबंध में समाज की जनभावनाओं, जनसांख्यिकीय योगदान और निष्ठावान राजनीतिक भागीदारी से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा।

मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चन्द शर्मा ने बताया कि जयपुर महानगर क्षेत्र में ब्राह्मण समाज की एक विशाल और प्रभावशाली आबादी निवास करती है। शहर के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में समाज की सदैव अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज, विशेष रूप से अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज, पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, राष्ट्रवादी विचारधारा और संगठनात्मक कार्यक्रमों में पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कार्यशाला आयोजित

- पवित्रा सॉफ्टवेयर के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक एवं डेटा आधारित निर्णयों को मिलेगा प्रोत्साहन

जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की ओर से पवित्रा-भारत के लिए वायु प्रदूषण प्रबंधन एवं हस्तक्षेप उपकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, उत्सर्जन का आकलन तथा प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न उपायों के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक एवं आंकड़ा आधारित विश्लेषण करने के संबंध में अधिकारियों को तकनीकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी। इस अवसर पर आरएसपीसीबी के अधिकारियों ने कार्यशाला में पवित्रा की कार्यप्रणाली, आंकड़ा विश्लेषण एवं इसके व्यावहारिक उपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि एक निर्णय-सहायक मंच है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित नीतिगत एवं नियंत्रण उपायों के आधार पर उत्सर्जन में संभावित कमी तथा उसके परिणामस्वरूप वायु में सूक्ष्म कण पीएम-2.5 की सांद्रता में होने वाले बदलाव का आकलन किया जा सकता है। इससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़े निर्णयों के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

प्रस्तुति के दौरान विशेषीकृत बहु-प्रदूषक उत्सर्जन सूची-स्मॉग इंडिया, वायुमंडलीय परिवहन एवं रसायन विज्ञान आधारित मॉडल इनमैप-पवित्रा तथा आईएसआरएम-पवित्रा सहित के विभिन्न तकनीकी घटकों की जानकारी दी गई। बताया गया कि स्मॉग इंडिया के माध्यम से देशभर में विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन का विस्तृत आंकड़ा आधारित भौगोलिक विवरण उपलब्ध होता है, जिसे के माध्यम से वायुमंडलीय मॉडलिंग से जोड़कर विभिन्न हस्तक्षेपों के संभावित प्रभावों का आकलन किया जा सकता है।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पुरोहित जी के कटले में आग से जली दुकानों का जायजा लिया

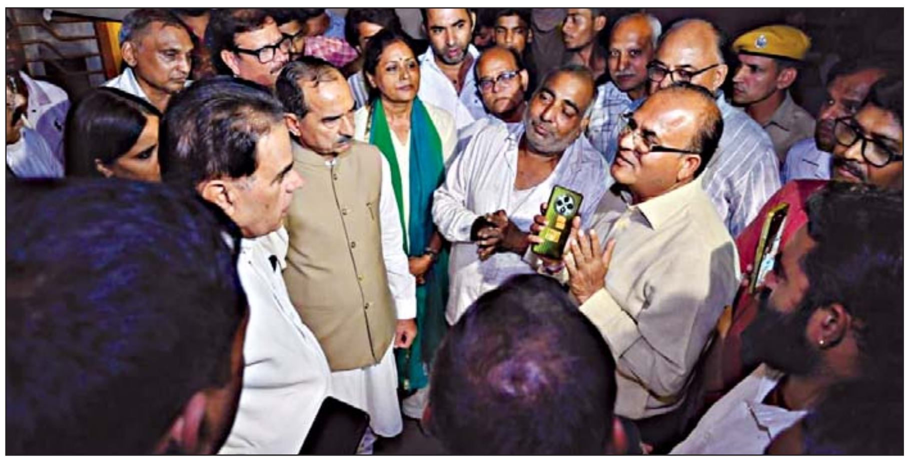

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहित जी के कटले में लगी भीषण आग की घटना के बाद घटनास्थल का जायजा लिया।

- उन्होंने प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी ली व उनकी समस्याओं को सुना

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहित जी के कटले में लगी भीषण आग की घटना के बाद घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को सुना। कटला व्यापार मंडल के राकेश गुप्ता ने घटनाक्रम की जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पीड़ित व्यापारियों को आश्वस्त किया कि नियमानुसार राज्य सरकार की ओर से उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करवाई जाएगी। कानून मंत्री पटेल ने ऐसी दुःखद घटना पर राजनीति करने वालों को ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने की बजाए सुझाव देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस घटना से व्यापारियों को हुए नुकसान को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जाएगी, ताकि आगजनी के कारणों का पता लगाया जा सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आग से क्षितग्रस्त हुई दुकानों की चिंता करते हुए हुए इसकी भी जांच करवाने की बात की। इसके साथ ही बाजारों की विभिन्न समस्याओं हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री डॉ. अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा सहित व्यापार मंडलों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

आम-सूचना "सीमा अग्रवाल पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम अग्रवाल ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर की योजना गोविन्द वाटिका, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर के विनायक विहार-II, सिराणी गणपतपुरा, जयपुर के भूखण्ड सं. 49 क्षेत्रफल 113.19 वर्गगज को स्वयं के नाम हस्तानान्तरण हेतु प्रस्तुत किया। साथ ही मूल आवंटी राधेश्याम अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा भूखण्ड के मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि व शपथ पत्र समिति कार्यालय मे प्रस्तुत किये तथा उक्त भूखण्ड को अपने नाम विधिक वारिस होने की हैसियत से हस्तानान्तरण हेतु समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय मे या मेरे कार्यालय मे उक्त सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि मे सम्पर्क करे, अन्यथा समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण सीमा अग्रवाल के नाम जारी कर दिया जायेगा, बाद मियाद गुजरने के कोई उठा मान्य नही होगा।
(हेमन्त कुमार पलोड़) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-3794 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:14.09.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 194/261 (LIG) का आवंटन कु. रुचिका गुप्ता पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 10.03.2005 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 3802/6263 दिनांक 31.03.2013 के द्वारा श्रीमती मधु धीर पत्नी श्री अनुप कुमार धीर के पक्ष में किया गया। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 07.05.2013 को कर दिया गया। श्रीमती मधु धीर के द्वारा उक्त आवास / फ्लैट को श्रीमती आकांक्षा धीर पत्नी श्री पंकज, पुत्री श्री अनुप कुमार धीर को दिनांक 25.11.2022 को बख्शीश कर पंजीकृत बख्शीशनामा उप पंजीयक - अष्टम्, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती आकांक्षा धीर पत्नी श्री पंकज, पुत्री श्री अनुप कुमार धीर द्वारा आवासन मण्डल में पंजीकृत बख्शीशनामा के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती आकांक्षा धीर पत्नी श्री पंकज, पुत्री श्री अनुप कुमार धीर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय,**
सम्पदा प्रबन्धक, वृत-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ चाकसू जिला जयपुर
चम्पेश्वर विरूद्ध प्रभुनारायण
वाद बाबत 94/25

बनाम केसन्ता पत्नी कानजी पुत्री प्रभु नारायण जाति वैरवा ग्राम देवासी कोटखावदा जिला जयपुर .....ने आपके विरूद्ध..... के लिये वाद पंजीयत किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 22 माह 09 सन् 2026 को दिन में.... वजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 17 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत **अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम, चाकसू**

न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर महानगर प्रथम जयपुर

संदीप अग्रवाल व अन्य बनाम मैसर्स मामूज कैफे व अन्य
मु.नं.114/26
प्रतिनिधित्व वाद (नोटिस अन्तर्गत आदेश -1 नियम-8 सीपीसी)

वादीगण ने मैसर्स मामूज कैफे सुशील चन्द जोशी जरिये प्रोपराईटर मामूज कैफे, निवासी सी-43, डोली हाऊस के पास, माहवीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के संदर्भ में वादीगण ने एक प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया है जिस कारण सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाद में पक्षकार बनना चाहता है तो वह पेशी 19/9/26 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार के रूप में संयोजित हो सकते है भविष्य में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आदेश आज दिनांक 3/9/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की की मुद्रा से जारी किया गया है।
मोहर **प्रस्तुतकार**
न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर महानगर प्रथम जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली) जयपुर द्वारा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **क्र स.: 1, एनआईटी संख्या:** ईएल-जेपी-68आर-II-2025-26, **कार्य का नाम:** JP Div-Electrical work in c/w Raising the level of PF No. 1 & 2 from Medium Level to High Level at Jhir (JHIR), Jatwara (JW), Kanauta (KUT), Bhankri (BAK) stations, Raising the level of PF No. 1 from Medium level to High level & PF No 2 from Rail Level to High Level at Amiya (ARNA) station and provision of FOB at Jhir (JHIR) & Jatwara (JW) stations. **अनुमानित लागत:** 6216338.47, **बयाना राशि:** 124300.00, **निविदा खोलने की तिथि:** 09/10/2026, **क्र स.: 2, एनआईटी संख्या:** ईएल-जेपी-09 आर-II-2026-27, **कार्य का नाम:** Electrical work in connection with Provision of additional PF Shelter at FL (Phulera, NSG-3) KSG (Kishangarh, NSG-3) KKU (Kanakpura, NSG-5), JOB (Asalpur jobner, NSG-5), NRI (Naraina, NSG-6), BOBS (Bobas, NSG-6), HDA (Hirnoda, NSG-6), DHND (Dhinda, HG-2), DTRA (Dantra, HG-3), SALI (HG-3), TL (Tilonia, HG-3) 11 stations. **अनुमानित लागत:** 9299561.86, **बयाना राशि:** 186000.00, **निविदा खोलने की तिथि:** 09/10/2026, **क्र स.: 3, एनआईटी संख्या:** ईएल-जेपी-20-2026-27, **कार्य का नाम:** JP Div-Provision of Emergency Lighting at platform/ passenger movement area at various stations over Jaipur division. **अनुमानित लागत:** 9676760.00, **बयाना राशि:** 193500.00, **निविदा खोलने की तिथि:** 09/10/2026, **क्र स.: 4, एनआईटी संख्या:** ईएल-जेपी-21-2026-27, **कार्य का नाम:** JP-Electrical work in connection with [1] Raising the level of PF to high level at BWL & HSI and extension of length of PF at BWL, HSI & GLNA stations. Provision of FOB at KVGM halt station, [2] Raising the level of PF to high level at PSL, MJNL, GAL & KNAR halt and extension of length of PF to 600 meters at BU, KNAR & SRRG stations. **अनुमानित लागत:** 6227617.46, **बयाना राशि:** 124600.00, **निविदा खोलने की तिथि:** 09/10/2026, **नोट: ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक, **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे के बाद, **सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता:** **http://www.ireps.gov.in**
1348-DO/26
हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें